रेल यात्रा-बीमा अब काउंटर-टिकट पर भी: 27 अक्टूबर से

खबरों में क्यों

6 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट (न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ) ने Union of India v. Radha Yadav (MA 741-742/2019, CA 1265-1266/2019; साथ में UoI v. Ghetu Mondal) में आदेश दिया कि 27 अक्टूबर 2026 से देश के सभी रेलवे स्टेशनों पर काउंटर से बिकने वाली टिकटें भी उसी तरह बीमा-कवर में होंगी जैसे ऑनलाइन खरीदी टिकटें। आदेश के शब्द स्पष्ट हैं: यह निर्देश अनिवार्य रूप से लागू होगा, चूक की जिम्मेदारी सीधे रेलवे बोर्ड पर होगी। पीठ ने आशंका भी दर्ज की: अगली सुनवाई (16 नवंबर 2026) को ज़मीनी प्रगति संतोषजनक न मिली तो विचार हो सकता है कि वर्तमान रेलवे बोर्ड पद पर बने रहने योग्य है या नहीं। मामले की जड़ जून 2023 की बालासोर रेल दुर्घटना के बाद दायर याचिका से जुड़ी बताई जाती है (रिपोर्ट-attributed), जिसमें जाँच-आयोग और सुरक्षा-उपकरण की माँग थी; रेल मंत्री के संसदीय वक्तव्य के अनुसार उस दुर्घटना में 295 लोग मारे गए थे।

रेल बीमा असल में काम कैसे करता है?

यह योजना रेलवे की अपनी क्षतिपूर्ति-जिम्मेदारी नहीं है। IRCTC अपनी वेबसाइट पर यात्री और बीमा कंपनी के बीच सिर्फ कड़ी (linkage) देता है; पॉलिसी जारी करना, दावा निपटाना और भुगतान — सब यात्री और बीमा कंपनी के बीच का अनुबंध है। यह कवर रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 123 (धारा 124/124A सहित) में परिभाषित 'रेल दुर्घटना' और 'अप्रत्याशित घटना' के लिए मिलने वाली वैधानिक क्षतिपूर्ति से अलग और अतिरिक्त है। कवर ट्रेन के मूल स्टेशन से वास्तविक प्रस्थान से गंतव्य पर वास्तविक आगमन तक रहता है; डायवर्जन, शॉर्ट-टर्मिनेशन और विकल्प (vikalp) ट्रेन की यात्रा भी शामिल है।

मुख्य तथ्य

आदेश: 06.10.2026; पीठ न्यायमूर्ति अमानुल्लाह व न्यायमूर्ति महादेवन; ASG विक्रमजीत बनर्जी, Amicus Curiae शिखिल सूरी; प्रभाव 27.10.2026 से — काउंटर-टिकट भी ऑनलाइन टिकट के समान बीमित

पीठ की नाराज़गी: आश्वासन 'कागज़' तक सीमित, सुरक्षा-बजट पूरी तरह खर्च नहीं; पटरी-बाड़ (fencing) के लक्ष्यों में लगभग हर साल एक-तिहाई की कमी — 16.11.2026 को स्पष्टीकरण माँगा; बोर्ड की व्यक्तिगत उपस्थिति फिलहाल स्थगित (ASG के शपथ-पत्र का अंतिम अवसर)

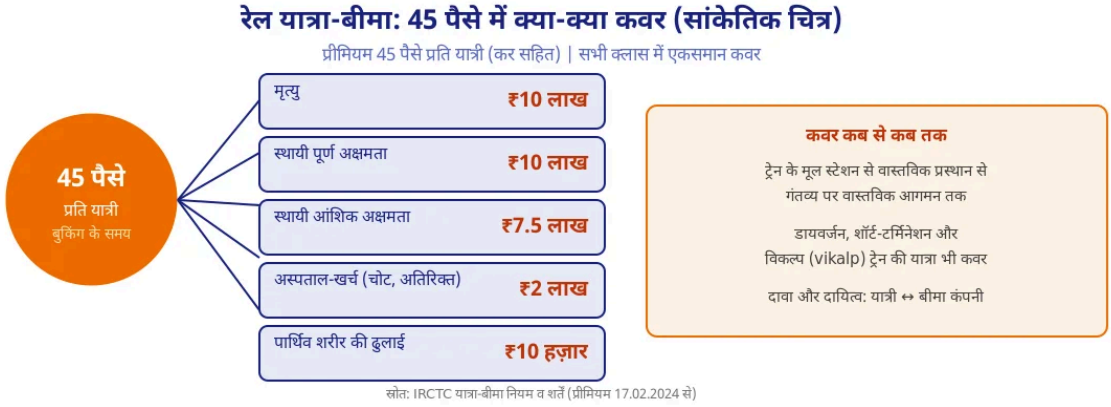
प्रीमियम: 45 पैसे प्रति यात्री (कर सहित), 17.02.2024 से; वैकल्पिक, पर एक PNR के सभी यात्रियों पर एकसाथ लागू

पात्रता: केवल भारतीय नागरिक; बुकिंग के समय ही विकल्प; CNF/RAC/PartCNF टिकट; 5 वर्ष से छोटे बच्चे (बिना बर्थ) कवर से बाहर, 5-11 वर्ष के बच्चे कवर में; सभी क्लास में एकसमान राशि

45 पैसे में क्या-क्या मिलता है

स्थिति	बीमा राशि (प्रति यात्री)
मृत्यु	₹10 लाख
स्थायी पूर्ण अक्षमता	₹10 लाख
स्थायी आंशिक अक्षमता	₹7.5 लाख

अस्पताल-खर्च (चोट पर, अतिरिक्त)	₹2 लाख
पार्थिव शरीर की ढुलाई	₹10 हज़ार



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

सांकेतिक चित्र: 45 पैसे प्रीमियम में मिलने वाला कवर — सभी क्लास में एकसमान।

योजना का सफ़र और आज का अंतर

योजना 1 सितंबर 2016 को 92 पैसे प्रीमियम पर शुरू हुई; 10 दिसंबर 2016 से 31 अगस्त 2018 तक निःशुल्क रही; 1 सितंबर 2018 से 49 पैसे वैकल्पिक; 17 फरवरी 2024 से 45 पैसे। डिजिटलीकरण के साथ काउंटर-बुकिंग घटती गई — रेल मंत्री के लोकसभा में दिए लिखित उत्तर (03.12.2025) के अनुसार 87% से अधिक आरक्षित टिकट ऑनलाइन बुक होते हैं। पर बची हुई काउंटर-बुकिंग करने वाले वही यात्री हैं जो सबसे कमजोर वर्ग से आते हैं — पीठ ने आदेश में यही दर्ज किया कि 'समाज के सबसे निचले स्तर' के लोग अक्सर काउंटर से टिकट लेते हैं। अभी तक यह वर्ग बीमा-विकल्प से ही वंचित था: वेटिंग-लिस्ट यात्री (जो काउंटर-टिकट से यात्रा करते हैं), अनारक्षित/जनरल क्लास, पैसेंजर और उपनगरीय ट्रेनें — सब कवर से बाहर थे।

तीन अलग-अलग राहतें — भ्रम न पाएँ

दुर्घटना के बाद तीन अलग धनराशियाँ चर्चा में आती हैं। (1) यात्रा-बीमा: 45 पैसे का अनुबंध, ₹2 लाख से ₹10 लाख तक, दावा यात्री↔बीमा कंपनी। (2) अनुग्रह राशि (ex-gratia): रेल मंत्रालय की घोषणा-आधारित तत्काल राहत — बालासोर में ₹10 लाख (मृत्यु), ₹2 लाख (गंभीर चोट), ₹50 हज़ार (सामान्य चोट) रही (रिपोर्ट-attributed)। (3) वैधानिक क्षतिपूर्ति: रेलवे दावा न्यायाधिकरण (RCT) के समक्ष रेलवे अधिनियम के तहत — मृत्यु पर ₹8 लाख (अधिसूचना 1165(E)), चोटों पर ₹64 हज़ार से ₹8 लाख तक (गंभीरता के अनुसार)। तीनों एक साथ मिल सकती हैं; बीमा बाकी दो का विकल्प नहीं, अतिरिक्त है।

विश्लेषण और आगे की राह

तीन परतों में देखें। (1) समानता-तर्क: डिजिटल-विभाजन जब बीमा तक पहुँचा तो समान सेवा के दो वर्ग बन गए — ऑनलाइन बुक करने वाला 45 पैसे का विकल्प पाता, काउंटर वाला नहीं। न्यायालयीन हस्तक्षेप ने इसे समानता-प्रश्न बना दिया; 27.10.2026 की प्रभाव-तिथि उसी का परिणाम। (2) क्रियान्वयन-संकट: आदेश की भाषा बीमा से आगे की कहानी बताती है — अनुपयोगी बजट, fencing लक्ष्यों में एक-तिहाई कमी, 'पद पर बने रहने योग्यता' की चेतावनी। 16.11.2026 की सुनवाई रेल-सुरक्षा प्रशासन की परीक्षा होगी; बीमा-विस्तार उसी बड़ी तस्वीर का एक घटक है। (3) डिज़ाइन का सवाल: काउंटर पर 'उसी तरह' कवर का अर्थ क्या होगा — opt-in (पूछकर) या opt-out (डिफॉल्ट)? ऑनलाइन में nomination की कड़ी SMS/email से

जाती है; काउंटर-यात्री तक पॉलिसी-जानकारी और दावा-प्रक्रिया पहुँचाना असली चुनौती होगी। यही क्रियान्वयन-विवरण तय करेगा कि आदेश कागज़ से ज़मीन तक पहुँचता है या नहीं। ध्यान रहे: आदेश-तथ्य 06.10.2026 के आदेश-पाठ से शब्दशः; बालासोर-संख्या और 87% आंकड़ा क्रमशः संसदीय वक्तव्य/लोकसभा उत्तर पर आधारित रिपोर्ट (attributed)।

अवधारणा में अंतर

बीमा (insurance — अनुबंध-आधारित, प्रीमियम पर, बीमाकर्ता से दावा) बनाम अनुग्रह राशि (ex-gratia — सरकारी विवेक से, दायित्व-स्वीकृति के बिना) बनाम वैधानिक क्षतिपूर्ति (statutory compensation — RCT के समक्ष, कानूनी अधिकार)। और आरक्षित टिकट (CNF/RAC — बीमा-पात्र) बनाम वेटिंग-लिस्ट (बीमा-अपात्र) बनाम अनारक्षित/जनरल क्लास (अभी कवर से बाहर)।

मेंस दृष्टि

GS-II: सामाजिक सुरक्षा, समावेशी शासन, न्यायिक सक्रियता; GS-III: रेलवे-बुनियादी ढाँचा और सुरक्षा। उत्तर में आदेश-तथ्य (06.10.2026, प्रभाव 27.10.2026 — आदेश-पाठ), डिजिटल-विभाजन का समानता-प्रश्न, तीन राहत-व्यवस्थाओं का अंतर और क्रियान्वयन-चुनौतियाँ (opt-in/opt-out, nomination, दावा-पहुँच) रखें।

UPSC CSE Mains शैली: मौलिक अभ्यास प्रश्न

‘सार्वजनिक सेवाओं के डिजिटलीकरण का लाभ अंतिम-पंक्ति के नागरिक तक पहुँचना ही समावेशी शासन की कसौटी है।’ रेल यात्रा-बीमा को काउंटर-टिकट तक बढ़ाने के सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देश के आलोक में विवेचना कीजिए।

(उत्तर 250 शब्दों में दीजिए) | 15 अंक

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: आदेश-तथ्य + बालासोर-संदर्भ (attributed)।

मुख्य भाग में: समस्या: डिजिटल-विभाजन, कमजोर वर्ग का वंचित रहना; विश्लेषण: समानता, बीमा/ex-gratia/वैधानिक क्षतिपूर्ति का अंतर, 87% ऑनलाइन आंकड़ा (attributed); चुनौतियाँ: opt-in डिज़ाइन, दावा-पहुँच, क्रियान्वयन-अनुशासन; मार्ग: डिफॉल्ट-कवर, जागरूकता, सुरक्षा-बजट उपयोग।

निष्कर्ष में: डिजिटल और काउंटर यात्रियों को समान अवसर देने के लिए स्पष्ट विकल्प, पॉलिसी-जानकारी, नामांकन और सुलभ दावा-प्रक्रिया सुझाएँ; आदेश की प्रभाव-तिथि को वास्तविक क्रियान्वयन की पुष्टि न मानें। बीमा को अनुग्रह राशि, वैधानिक क्षतिपूर्ति या दुर्घटना-रोकथाम का विकल्प न बनाएँ।

स्रोत

- सुप्रीम कोर्ट — Record of Proceedings, MA 741-742/2019, UoI v. Radha Yadav (06.10.2026)
- IRCTC — ऐच्छिक यात्रा-बीमा नियम व शर्तें (प्रीमियम 17.02.2024 से 45 पैसे)
- प्रेस सूचना ब्यूरो — Optional Travel Insurance Scheme (योजना-इतिहास)
- विश्लेषणात्मक रिपोर्ट — आदेश, पात्रता और क्षतिपूर्ति-व्यवस्था (15.10.2026)

मुख्य आदेश-तथ्य 06.10.2026 के आदेश-पाठ से शब्दश:; बीमा-शर्तें IRCTC दस्तावेज़ से; बालासोर-संख्या रेल मंत्री के संसदीय वक्तव्य पर आधारित रिपोर्ट और 87% आंकड़ा रेल मंत्री का लोकसभा लिखित उत्तर (attributed)।

यह भी पढ़ें: गृहिणी का अवैतनिक श्रम अब क्षतिपूर्ति की अलग मद: सुप्रीम कोर्ट का ‘घरेलू देखभाल’ निर्णय | बीमा वितरण सुधार: बिक्री के प्रोत्साहन और ग्राहक का हित।

याद रखें: 27 अक्टूबर 2026 से काउंटर-टिकट भी 45 पैसे के बीमा-कवर में — दावा यात्री और बीमा कंपनी के बीच; परीक्षा 16 नवंबर की सुनवाई में, जहाँ पूरी रेल-सुरक्षा कार्यप्रणाली जाँच में होगी।